(c) Not applicable.

(d) The achievements during the 7th Plan period (upto 30th Sept., 87) have been above the targets fixed in respect of the number of beneficiaries.

Flood situation in West Bengal

698. SHRI MOSTAFA BIN QUASEM: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of severe flood situation in West Bengal;

(b) if so, the total loss suffered by the State;

(c) whether a Central team had visited the affected parts to assess the extent of loss caused;

(d) if so, the details and financial assistance sanctioned by the Union Government for relief measures;

(e) whether floods are a permanent feature in the State; and

(f) if so, the permanent measures taken in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) Yes, Sir.

(b) The value of damages to public and private property reported by the state government is Rs. 439 93 crores, besides the loss of 156 human lives and 1391 heads of cattle.

(c) and (d) A Central team visited the State from 5th to 7th September, 1987 to make an on the spot assessment of the situation. On the basis of the report of the Central Team and recommendations of the High Level Committee on Relief, a ceiling of expenditure of Rs. 67.72 crores has been approved to the State Government. In addition Rs. 0 06 crores for increasing vegetable production has also been approved to the State Government.

(e) Flood conditions of varying severity have been reported by the Government of West Bengal for the last five years.

(f) It is for the State Government to take necessary steps to combat the situation created by flood conditions. The Government of India only supplements the efforts of the State Government by providing Central assistance to tackle the situation effectively.

स्वयं वित्तीय योजना IV के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जमा राशियों पर ब्याज

699. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कालोनियों मे स्वयं-वित्तीय योजना IV के अन्तर्गत जो मकान आवंटित किए गए थे वे मकान कुछ कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण और उसके ठेकेदारों के बीच झगडे तथा सांठगांठ के कारण समय पर नही सौंपे गए ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन आवंटितियों को जमा राशि पर इस विलम्ब के कारण बीते हुए समय के लिये कोई ब्याज नहीं दिया जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार स्वय वित्तीय योजना-IV के आवंटितियो को उनकी जमा धन-राशि पर ब्याज देने का विचार रखती है, यदि हा, तो कब तक : क्या इस सम्बन्ध में किसी अनियमितता का पता लगा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उत्तर दिया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण और ठेकेदारों के मध्य विवाद तथा साठ-गांठ का कोई मामला उनके ध्यान मे नही आया है जिसके स्व-वित्त पोषित योजना IV के अन्तर्गत आवंटियों को मकान का कब्जा देने में विलम्ब हुआ हो ।

(ख) से (घ) स्व-वित्त पोषित योजना IV के लिए विवरणिका में यह प्रावधान है कि यदि नियतन की तारीख से $2\frac{1}{2}$ वर्ष की अवधि के भीतर फ्लैटों को पूरा नही किया जाता है तो $2\frac{1}{2}$ वर्ष के बाद से फ्लैट पूर्ण होने तक की अवधि के लिए जमा की गई राशि पर ब्याज दिया जाता है। दिये जा रहे ब्याज की दर छः माह तक विलम्ब के लिए 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा छः माह के बाद के विलम्ब के लिए 10% प्रतिवर्ष है ।

मंडल संख्या 43 के कार्यालय का स्थानांतरण

700. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग, दिल्ली प्रशासन के मंडल सं० 43 के कार्यालय के स्थानान्तरित किए जाने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या यह सच है कि किन्हीं कारणों से उपर्युक्त मंडल का स्थानान्तरण अभी तक नही किया गया है ; और

(ग) यदि हा, तो उसके क्या कारण हैं और इसका स्थानांतरण कब तक कर दिए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हा ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली प्रशासन के खाद्य, आपूर्ति एवं उपभोक्ता कार्य विभाग के सर्किल नं० 43 के कार्यालय को उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण अभी तक स्थानांन्तरित नही किया जा सका है तथा जैसे ही उपयुक्त स्थान की व्यवस्था कर ली जाएगी, इसे स्थानांतरित कर दिया जाएगा ।

Sale of Fertilizers at Discount

701. SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Fertilizer Industry is now in a serious financial crisis due to stockpiling of over 3.7 million tonnes of fertilizer and whether, as a result of this the industry was forced to sell fertilizer at a discount causing a loss of Rs. 400 crores in 1986-87;

(b) whether this stockpiling was caused by any policy change by Government with regard to fertilizers; and

(c) if not, what are the reasons for such stockpiling?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF FERTILIZERS IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI R. PRABHU): (a) to (c) Remarkable performance of the indigenous industry and below target consumption on account of prolonged drought have contributed to the increase in stocks of unsold fertilizers. Even though the prices of fertilizers are statutorily controlled, manufacturers offered discount to liquidate the stocks.

Sickness of Fertilizer industry

702. SHRI D. B. CHANDRE GOWDA:
SHRI K. VASUDEVA PANICKER:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that due to unwarranted Government policies, the fertilizer units functioning in the public, joint and private sectors in the country have all turned sick as reported in the 'Hindustan Times' dated the 26th September, 1987;

(b) if so, whether any investigations have been made to find out the exact cause of sickness in the fertilizer industry; and